



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 30, गुरुवार, शाके 1946-जून 20, 2024  
Jyaistha 30, Thursday, Saka 1946- June 20, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आजार्यें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 07, 2024

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958(1958 का अधिनियम 31) के अन्तर्गत छूट

**संख्या एफ.14(11)(1)श्रम/विधि/2017/4863607** :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा )2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों से, इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है:-

1. महिला कर्मचारी की सहमति प्राप्त करने के बाद ही नियोजक द्वारा रात्रिकाल में नियोजित करने के लिए अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. सभी महिला कर्मियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र एवं फोटो सहित पहचान पत्र जारी किये जाएंगे।
3. महिला कर्मचारियों के रात्रि में कार्य करने की स्थिति में उनकी पूर्ण सुरक्षा का दायित्व नियोजक का होगा तथा महिला कर्मचारियों को रात्रि में घर से कार्यस्थल तक आने व वापिस जाने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
4. कार्य स्थल पर महिला कर्मियों के लिए पृथक विश्राम गृह व सामान रखने के लिए लॉकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. किसी गर्भवती महिला को उसकी सम्भावित प्रसूति तिथि से 3 माह पूर्व तथा बच्चे को जन्म देने के पश्चात् 3 माह की अवधि में रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जाएगा।

6. नियोजक द्वारा कार्यस्थल में सम्भावित यौन उत्पीड़न के कृत्य या घटना होने की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

धर्मपाल सिंह,  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,  
पदेन संयुक्त शासन सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।